एकता और सदभाव

UNITY & HARMONY

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090404708

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :टिहरी

उत्तराखण्ड शासन UKPDE2024090404708 From 16 Feb 2023 18-Nov-2024 2:56:53PM

Appointment Date: 18 Nov 2024 **Appointment Time:02:30 p.m to 03:30 p.m** **Appointment TokenNo:1**

3554/2024

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :चौड़खेत

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :चौड़खेत

Khewat : Khatoni :00024

Khasra :787, 788,790, 844, 845,846, 847, 848,851, 855, 856, 857, 865, 866

House/Flat No: AT VILLAGE-CHAUDKHET(CHAKA)PATTI-DHGARAKRIYA, TEHSIL-GAJA, DISTRICT-TEHRI GAHRWAL

Area :3,340.0000 वर्ग मीटर

Latitude - Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00 Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00 **Market Value :0.00**

Advance :0.00 Lease Period :27.00 Avg. Rent :333.33

Stamp Duty :480.00 **Regn Fees :240.00**

Pasting Fees :100 Page :24

26

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्रं सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक़ा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	240.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	480.00	-	18-Nov-2024	104

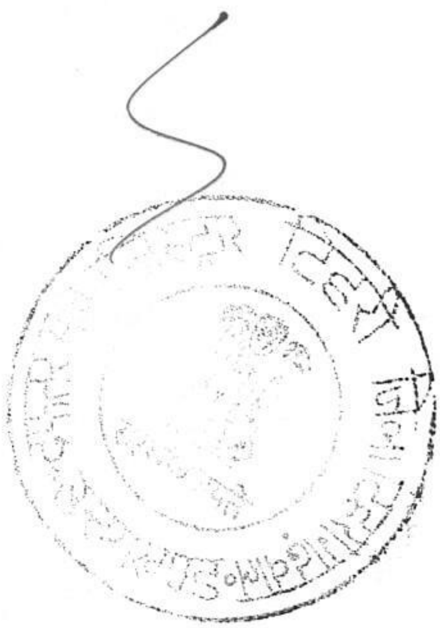

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री स्व० दयाल सिंह निवासी ग्राम-सटेन (चौडखेत), पट्टी-धारअक्रिया, तहसील-गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल हाल निवासी-म स० -३४ बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला-देहरादून Email :anand9412971835@gmail.com		Self employed		9412971835	ADHAAR : 287196937190
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती शांता चौहान पत्नी श्री आनन्द सिंह निवासी ग्राम-सटेन (चौडखेत), पट्टी-धारअक्रिया, तहसील-गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल हाल निवासी-म स० - ३४ बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला-देहरादून Email :chauhanshanta9411742670@gmail.com		Self employed		9411742670	ADHAAR : 202821259338
गवाह	श्री नरेन्द्र चन्द रमोला पुत्र श्री सोहन चन्द रमोला निवासी ग्राम-कखवाडी, पट्टी-बमुन्ड, तहसील-टिहरी, जिला-टिहरी गढ़वाल		Self employed		8650302060	ADHAAR : 953300465169
गवाह	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री धूम सिंह निवासी ग्राम-कुड़ी, पट्टी-कुंजणी, तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल		Self employed		6398343070	ADHAAR : 846601025093

Deed Writer /Advocate Name :JAYBEER SINGH RAWAT, ADV

भारत सरकार
Government of India

आनन्द सिंह चौहान
ANAND SINGH CHAUHAN
पिता : दयाल सिंह चौहान
Father : Dayal Singh Chauhan
जन्म तिथि / DOB : 28/05/1964
पुरुष / Male

2871 9693 7190

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
34-बी लेन, रक्षापुरम लाडपुर, रायपुर, लाडपुर, रायपुर ओ.फ, देहरादून, उत्तराखंड, 248008

Address:
34-B LANE, RAKSHAPURAM LADPUR, RAIPUR, Ladpur, Raipur(o.f), Dehradun, Uttarakhand, 248008

2871 9693 7190

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov

भारत सरकार
Government of India

शांता चौहान
Shanta Chauhan
जन्म तिथि / DOB : 10/06/1976
महिला / Female

2028 2125 9338

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
अर्धांगिनी: आनंद सिंह चौहान, बी-34, रक्षापुरम, लाडपुर, देहरादून, रायपुर ओ.फ, उत्तराखंड, 248008

Address:
W/O: Anand Singh Chauhan, B-34, rakshapuram, Ladpur, Dehradun, Raipur(o.f), Uttarakhand, 248008

2028 2125 9338

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

नरेन्द्र चन्द रमोला
Narendra Chand Ramola
जन्म तिथि / DOB : 04/08/1970
पुरुष / Male

9533 0046 5169

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: सोहन चन्द रमोला, कखवारी, टिहरी गढ़वाल, कखवारी, उत्तराखंड, 249145

Address:
S/O: Sohan Chand Ramola, Kakhwari, Tehri Garhwal, Kakhwari, Uttarakhand, 249145

9533 0046 5169

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

सुनील सिंह
Sunil Singh
जन्म तिथि/DOB: 08/09/1979
पुरुष/ MALE

8466 0102 5093
VID : 9103 4985 0215 3529

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
C/O धूम सिंह, कुडी, -, स्वीर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड - 249199

Address:
C/O Dhoom Singh, kudi, -, Sweer, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249199

8466 0102 5093
VID : 9103 4985 0215 3529

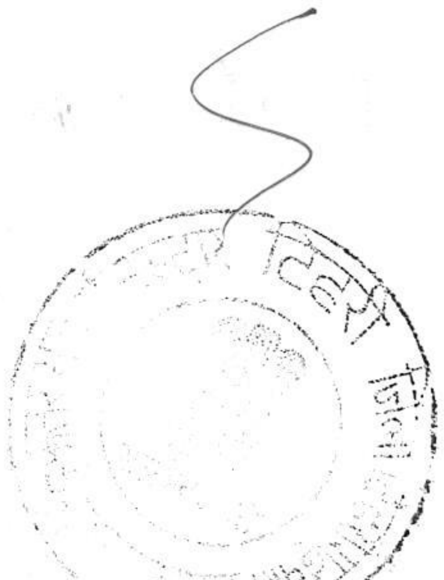
दिल्ली

कार्यालयः उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर ,जनपद–टिहरी गढ़वाल।
फोन नं0 – 01378–227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पंत्राक संख्या 327/उरेडा/मु.मं. सौर स्व0यो/ 2023–24 दिनांक 14 अगस्त, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

श्रीमती शान्ता चौहान
ग्राम चौडखेत पों0 कटुड,
टिहरी गढवाल ।

विषयः–" मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तो के अनुसार परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 कि0वा0 क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तो के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कम सं0	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या–	2353
02.	संयत्र की क्षमता	200 कि0वा0
02.	निर्धारित विद्युत विकय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रू0 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	सटेन, चौडखेत , चम्बा, टिहरी गढवाल।
04.	संयत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयत्र से उत्पादित विद्युत के कय की अवधि	संयत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षो तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/I-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एंव पत्र संख्या– 1058/I-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभैंति भिज्ञ है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि0वॉ0 हेतु रू0 25,000/–, 100 कि0वॉ हेतु रू0 50,000/– एवं 200 कि0वॉ0 हेतु रू0 1,00,000/–) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमिशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

Schauhan

03. कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।

04. पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्व फर्म को जारी कार्यादेश/कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें।

05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होगें।

06. मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्ते/मानक निर्धारित है, जो कि निम्नवत है:-

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
(b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
(c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
(d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated __within Three months__ from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।

08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

09. संयत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वंय कराया जाना होगा।

10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप मे इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नही होगी।

11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।

12. परियोजना की कमीषनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नही होगा।

Gelahi

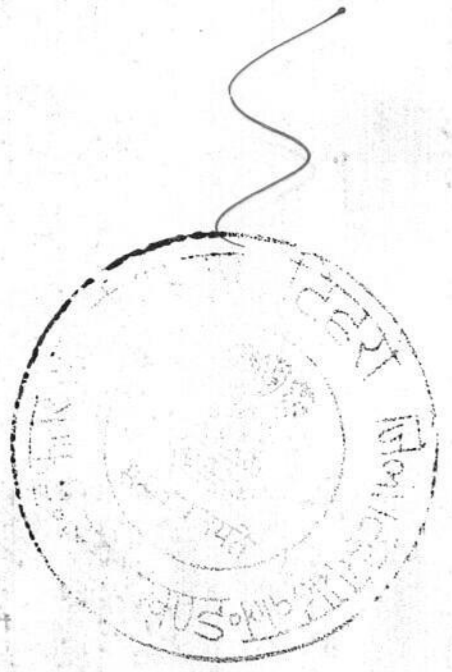

13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना के लिए आवंटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने मे सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटी एंव फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेष, भुगतान, वाद–विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।
14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एंव लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त https://investuttarakhand.uk.gov.in पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 मे निहित प्रोत्साहन एंव लाभ प्राप्त नहीं होगें।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का अनुपालन कराते हुये <u>" मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना"</u> के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी
उरेडा–टिहरी

GChauhan

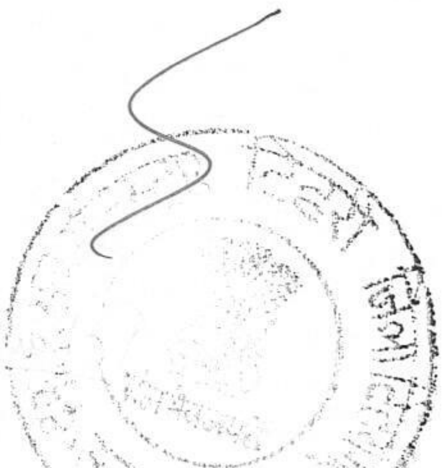

IN-UK57175765228607W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK57175765228607W
Certificate Issued Date	:	18-Nov-2024 02:12 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1264404/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK126440421405663882156W
Purchased by	:	SMT SHANTA CHAUHAN
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	TOTAL KHET-14 TOTAL AREA-3340 SQMTRS AT VILLAGE-CHAUDKHET(CHAKA) PATTI-DHARAKRIYA, TEHSIL-GAJA, TG
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	ANAND SINGH
Second Party	:	SMT SHANTA CHAUHAN
Stamp Duty Paid By	:	SMT SHANTA CHAUHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	480 (Four Hundred And Eighty only)

Shoorbeer Singh Rana
Stamp Vender
Court Compound New Tehri
Distt -Tehri Garhwal
Mob 9634009750

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Verified & Locked

पट्टा विलेख (Lease Agreement)

यह पट्टा विलेख *(जिसे इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख, कहा गया है)* आज दिनांक–**18** नवम्बर, सन–2024 को उप–निबन्धक कार्यालय–**नई टिहरी**, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के समक्ष, निम्न पक्षकारान के द्वारा निष्पादित किया गया है:–

आनन्द सिंह उम्र–60 वर्ष पुत्र स्व0 दयाल सिंह, जिनका आधार कार्ड नं0–287196937190 व मोबाइल नम्बर–9412971835 निवासी ग्राम–सटेन (चौडखेत), पट्टी–धारअक्रिया, तहसील–गजा, जिला–टिहरी गढ़वाल, हाल म0स0–34बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला–देहरादून उत्तराखण्ड़।

जिन्हें इसके बाद पट्टादाता कहा गया हैं, जिसकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो, इनके कानूनी प्रतिनिधि, प्रशासक, उत्तराधिकारी, हितबद्ध व्यक्ति और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त सम्मिलित होंगे।

एवं

श्रीमती शांता चौहान उम्र–48 वर्ष पत्नी श्री आनन्द सिंह, जिनका आधार कार्ड नं0–202821259338 व मोबाइल नम्बर–9411742670, हैं ग्राम–सटेन(चौडखेत), पट्टी–धारअक्रिया, तहसील–गजा, जिला–टिहरी गढ़वाल, हाल म0स0–34बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला–देहरादून उत्तराखण्ड़।

(जिन्हें इस विलेख में इसके बाद आगे पट्टेदार कहा गया है) जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादित प्रशासक, हितबद्ध व्यक्ति और द्वितीय पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

इस विलेख में आगे प्रथम पक्ष को पट्टादाता एवं द्वितीय पक्ष को पट्टेदार के रुप में सम्बोधित किया गया हैं।

पट्टादाता यह घोषणा करते है कि पट्टादातागण–**ग्राम–चौड़खेत(चाका), पट्टी–धारअक्रिया, तहसील–गजा, जिला, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड** के फसली वर्ष–1427 से 1432 तक के खाता संख्या–00024 में दर्ज:–

"परिशिष्ठ–क"

क्रमांक	खेत संख्या–	रक्वा
1	खेत सं0–787	रक्वा–0.0150 हे0
2	खेत सं0–788	रक्वा–0.0350 हे0
3	खेत संख्या–790	रक्वा–0.0030 हे0
4	खेत संख्या–844	रक्वा–0.0460 हे0
5	खेत संख्या–845	रक्वा–0.0080 हे0
6	खेत संख्या–846	रक्वा–0.0500 हे0

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 3554 वर्ष 2024

Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00

औसत वार्षिक

किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 240.00	रु0 100.00	रु0 260.00	रु0 600.00	1000

श्रीमती शांता चौहान पत्नी श्री आनन्द सिंह निवासी ग्राम-सटेन (चौडखेत), पट्टी-धारअक्रिया, तहसील-गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल हाल निवासी-म स० - ३४ बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला-देहरादून ने आज दिनांक 18 Nov 2024 समय मध्य 3PM व 4PM को कार्यालय उपनिबन्धक टिहरी मे प्रस्तुत किया।

शांता चौहान

उपनिबन्धक
टिहरी
18-Nov-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री स्व० दयाल सिंह निवासी ग्राम-सटेन (चौडखेत), पट्टी-धारअक्रिया, तहसील-गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल हाल निवासी-म स० -३४ बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला-देहरादून \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्रीमती शांता चौहान पत्नी श्री आनन्द सिंह निवासी ग्राम-सटेन (चौडखेत), पट्टी-धारअक्रिया, तहसील-गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल हाल निवासी-म स० - ३४ बी, लेन, रक्षापुरम, लाडपुर, रायपुर, जिला-देहरादून \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री नरेन्द्र चन्द रमोला पुत्र श्री सोहन चन्द रमोला निवासी ग्राम-कखवाडी, पट्टी-बमुन्ड, तहसील-टिहरी, जिला-टिहरी गढ़वाल तथा श्री सुनील सिंह पुत्र श्री धूम सिंह निवासी ग्राम-कुड़ी, पट्टी-कुंजणी, तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल ने की।

उपनिबन्धक
टिहरी
18-Nov-2024

7	खेत संख्या–847	रक्वा–0.0080 हे0
8	खेत संख्या–848	रक्वा–0.0130 हे0
9	खेत संख्या–851	रक्वा–0.0090 हे0
10	खेत संख्या–855	रक्वा–0.0130 हे0
11	खेत संख्या–856	रक्वा–0.0130 हे0
12	खेत संख्या–857	रक्वा–0.0280 हे0
13	खेत संख्या–865	रक्वा–0.0330 हे0
14	खेत संख्या–866	रक्वा–0.0330 हे0
	कुल–14 खेत	कुल रक्वा–0.3340 हे0 यानि–3340 वर्ग मीटर भूमि।

कुल–14 खेत, जिनका कुल रक्वा–0.3340 हे0 यानि–3340 वर्गमीटर भूमि पट्टादाता के नाम व अंश की भूमिधरी की भूमि है, जिसका वर्गीकरण श्रेणी 1 या वर्ग 1 का (पूरे हस्तान्तरण योग्य अधिकारों के साथ) के भूमिधर के तौर पर प्रथम पक्ष के नाम दर्ज है, व उक्त भूमि को वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग हेतु किराये पर देने में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950(यथा संशोधन) के अनुसार कोई प्रतिबन्ध नहीं है,उक्त भूमि **ग्राम–चौड़खेत(चाका), पट्टी–धारअक्रिया, तहसील–गजा, जिला, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड** राज्य की राजस्व सीमाओं में स्थित है, जिसके प्रथम पक्ष एक मात्र स्वामी व कब्जेदार हैं जिसका वर्णन इस पट्टा विलेख में ऊपर "**परिशिष्ट–क**" में किया गया है, के बाबत निम्नलिखित पट्टा विलेख इस पट्टा विलेख में वर्णित शर्तो के अधीन, द्वितीय पक्ष के हक में निष्पादित किये देते है।

(1) कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीजदातागण के नाम इस पट्टा विलेख के **"परिशिष्ठ–"क"** में वर्णित भूमि, संयुक्त रूप से दर्ज खातेदारान के है, जो पट्टादातागण को घर बंटवारे में प्राप्त हुई है, जिसके पट्टादातागण एक मात्र संयुक्त स्वामी व कब्जेदार है, तथा उक्त भूमि को विक्रय, बंधक या किराये आदि पर देने के लिये उक्त खाते में दर्ज अन्य सहखातेदारान ने पट्टादातागण को अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की हुई है, तथा उक्त भूमि पर इस खाते में दर्ज अन्य किसी खातेदार का कोई हक व कब्जा काश्त नहीं है, जिसे बतौर भू–स्वामी, पट्टेदाता/प्रथम पक्ष को पट्टे आदि पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, पट्टादाता/लीजकर्ता ने अपनी उक्त भूमि जो "**परिशिष्ट–क**" में वर्णित है, को इस पट्टा विलेख में वर्णित शर्तों व निबन्धनों के अनुसार, द्वितीय पक्ष को दिनांक–**01.11.2024 से प्रारम्भ होकर** दिनांक–**31.10.2051 तक** याने **27 वर्षो** के लिए **पट्टे पर दे दिया है,** जिसे द्वितीय पक्ष/पटटेदार **ने पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है** तथा पट्टेदार इस भूमि पर उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) से पत्रांक संख्या–**327** दिनांक–**14.08.2024** के परियोजना

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 3554 वर्ष 2024

आनन्द सिंह

शांता चौहान

नरेन्द्र चन्द रमोला

सुनील सिंह

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, टिहरी
18 Nov 2024

आवंटन पत्र के माध्यम से **25** वर्षो के लिये स्वीकृत **200 किलो वाट** सोलर पावर उत्पादन हेतु, प्लांट लगाये जाने के प्रयोजनार्थ, उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है, व प्रथम पक्ष/पट्टादाता ने उक्त भूमि का कब्जा मौके पर द्वितीय पक्ष/पट्टेदार को सौंप दिया है।

(2) कि यह पट्टा दिनांक–**01.11.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक–31.10.2051 तक** याने **27 वर्षो** के लिए वैध रहेगा, अगर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को यदि उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो दोनों पक्षों के आपसी समझौते पर पुनः पट्टा अवधि बढायी जा सकेगी, पट्टेदार उक्त भूमि का किराया मु0–4,**000/–(चार हजार रूपये)** प्रतिवर्ष, प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में भुगतान करेगी, जो सम्पूर्ण पट्टा अवधि हेतु अनुमन्य होगी, **और इस पट्टा अवधि में इस किराये में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी,** पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात अर्थात **27 वर्षो** की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्, फिर उपयोग के लिए चाहेगी, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरांत ही उपयोग कर सकेगी, अन्यथा पट्टेदार, उक्त भूमि को अपने खर्चे पर खाली कर, उसका कब्जा पट्टादाता को सौंप देगी, व पट्टादाता से किसी प्रकार के खर्चे की मांग नहीं करेगी।

(3) कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया में–**4,000 रू0** प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, इस प्रकार–**27 वर्ष** का कुल किराया मु0–**1,08,000/–(एक लाख आठ हजार** रू0) होता है।

(4) कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार या राजस्व, समय–समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, **पट्टेदार अपने नाम से उक्त** भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन जो भी आवश्यक हो, इत्यादि व सौन्र्दयीकरण व आवश्यक समतलीयकरण व रास्ते एवं अस्थाई आवास/कार्यालय आदि का निर्माण करवा सकेगी, जिस पर पट्टेदार या उनके किसी अंशी या उत्तराधिकारी या सहखातेदार का कोई उज्र ऐतराज नहीं है,और न ही भविष्य में मान्य न होगा, उक्त पट्टा विलेख वंशानुगत है, जो पट्टा अवधि के दौरान पक्षकारान के उत्तरजीवियों व उत्तराधिकारियों व आश्रितों पर भी बाध्य होगा। भूमि की सीमाएं निम्न प्रकार है :–

पूरब में–रास्ता व तब पट्टादाता की अन्य भूमि।

पश्चिम में–रास्ता तब पट्टादाता की अन्य भूमि।

Gchauhan

उत्तर में—अन्य की भूमि।

दक्षिण में—पट्टादाता की अन्य भूमि।

(5) यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से, जैसे वह चाहे, इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने, किसी प्रकार का अस्थाई निर्माण या कोई बिजली या सोलर की लाईन आदि बनाने तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा व उक्त भूमि पर मुख्य सड़क से आने–जाने का व रास्ता एवं अस्थाई सड़क बनाने का पट्टेदार को पूर्ण अधिकार होगा इस भूमि पर किसी अन्य का आने–जाने का रास्ता नहीं है।

(6) यह कि पट्टेदार, उक्त पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, पट्टा समय से पहले समाप्त होने की दशा में पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित अपने सभी ढांचे को गिराने की स्थिति में उक्त भूमि पर कब्जा पट्टादाता को सौपेंगी और पट्टादाता को कब्जा लेने के समय पट्टेदार को अग्रिम किराये की धनराशि प्रत्येक वर्ष के **जनवरी माह में अदा करनी** होगी। पट्टादाता, पट्टेदार से किसी भी प्रकार की किसी भी क्षतिपूर्ति की दावेदारी नहीं करेंगे तथा पट्टेदार उक्त भूमि पर अपने द्वारा लगाये गये समस्त सामान, फिटिंग व निर्माण सामग्री को ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(7) यह कि **पट्टादाता को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा** और **पट्टादाता** उक्त भूमि को उक्त पट्टा अवधि के दौरान कहीं भी विक्रय या बंधक या खुर्द बुर्द या अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं कर सकेंगे।

(8) यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा–154 (क) एवं धारा–156 का संशोधन, अध्यादेश दिनांक–18.11.2019 के अनुसार, बैकल्पिक ऊर्जा/सोलर पॉवर प्लॉट के लिये, कृषि भूमि को भी लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है, व उक्त शासनादेश के अनुसार ही पट्टादाता द्वारा अपनी उक्त भूमि को पट्टेदार को किराये पर दिया जा रहा हैं।

(9) यह कि इस पट्टा विलेख में वर्णित शर्तो के अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करते है कि पट्टेदार को अपने इस प्रयोजन के लिये इस पट्टा विलेख में दी गई

[illegible]

जमीन के पट्टा अधिकारों पर किसी भी सिक्योरिटी/गिरवी रखने के लिये, पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित, अपने ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, नोवाटी और नियुक्त, एवं सभी हितबद्ध, सम्मिलित है, **(परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के पुर्न भुगतान के लिये एक सिक्योरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों पक्षकारों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखत में कोई घोषणा नहीं की जायेगी,)** पट्टेदाता, उक्त परियोजना के लिये पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने के अधिकार नहीं है, परन्तु **पट्टेदार के पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है,** पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, **उक्त भूमि को बैंक में बंधक कर पट्टेदार इस भूमि पर बैंक से ऋण ले सकेगा तथा इस भूमि को बैंक के पक्ष में बंधक कर सकेगा, और सम्बन्धित बैंक, पट्टेदार के ऋण अदा न करने की स्थिति में इस भूमि से अपने शेष ऋण की वसूली कर सकेगा।**

10– कि उक्त पट्टा विलेख में वर्णित अवधि का कुल किराया मु0–**1,08,000**/–रूपये आंकलित होता है, जिसके एक वर्ष का किराया मु0–**4,000**/–रूपये व 06 वर्षो का मु0–**24,000**/–रूपये आंकलित होता है, जिस पर 02 प्रतिशत की दर से मु0–**480**/–रूपये के स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

प्रथम पक्ष/पट्टादाता आनन्द सिंह की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान	
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान	

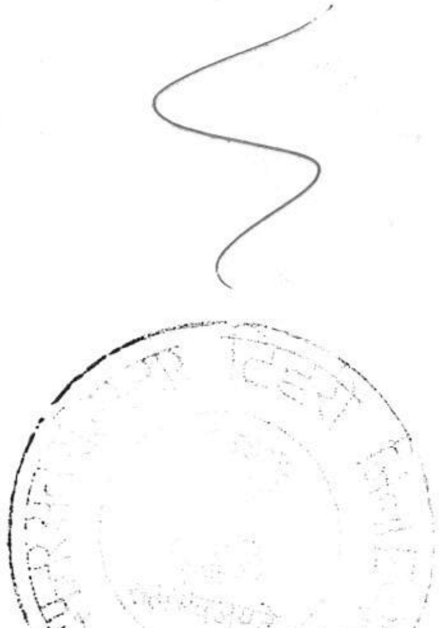

<u>द्वितीय पक्ष / पट्टाग्रहीता श्रीमती शांता चौहान की उंगलियों की छाप—</u>

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान	
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान	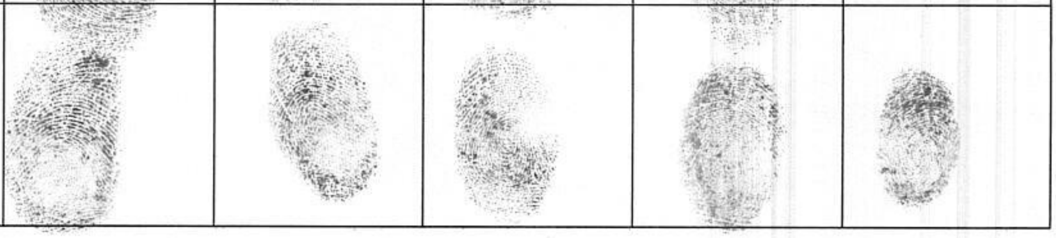

अतः आज दिनांक—**18.11.2024** को इस पट्टा विलेख को करने वाले पट्टादाता व पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में अपने—अपने हस्ताक्षर करके इस पट्टा विलेख निष्पादित किये दे रहे है, ताकि समय पर प्रमाण को काम आवे।

ह0 प्रथम पक्ष / पट्टादाता ह0 द्वितीय पक्ष / पट्टेदार

रचियता

जयवीर सिंह रावत, एडवोकेट

aybeer Singh Rawat
Advoca
Ch. No-10
st Court New Tehri
ri Garhwal (Uttarakhand)

<u>**गवाह**</u>

साक्षी नं0—1 नरेन्द्र चन्द रमोला पुत्र श्री सोहन चन्द रमोला निवासी ग्राम—कखवाड़ी, पट्टी—बमुण्ड, तहसील—टिहरी, जिला—टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
आधार संख्या—953300465169 मो0:- 8650302060

साक्षी नं0—2 सुनील सिंह पुत्र श्री धूम सिंह, निवासी—ग्राम—कुड़ी, पट्टी—कुंजणी, तहसील—नरेन्द्रनगर,जिला—टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
आधार संख्या—846601025093 मो0:- 6398343070

बही संख्या 1 जिल्द 1455 के पृष्ठ 161 से 186 पर क्रमाक 3554 पर आज दिनांक

18 Nov 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,टिहरी
18 Nov 2024

बही नं0:1 लें0सं0: 3554 (भाग–1) क्रम संख्या :51/ 68

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

लेख या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 18-Nov-2024

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम शांता चौहान

लेख का प्रकार Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

प्रतिफल की धनराशि Transvalue:0.00 / Mvalue:0.00 / Advance:0.00

1	रजिस्ट्रीकरण शुल्क (नकद)	240.00
2	रजिस्ट्रीकरण शुल्क (ई-पेमेन्ट) : (Subject to Realisation)	
3	प्रतिलिपिकरण शुल्क	100.00
4	इलैक्ट्रानिक शुल्क	260.00
5	निरीक्षण या तलाश शुल्क	0.00
6	मुख्तारनामा के अभिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क	0.00
7	कमीशन शुल्क	0.00
8	नकल शुल्क	0.00
9	विविध	0.00
10	यात्रिक भत्ता	0.00
11	कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क	0.00
12	योग	**600.00**

एकता और सदभाव

UNITY & HARMONY

शुल्क वसूल करने का दिनांक 18-Nov-2024

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 18-Nov-2024

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक,टिहरी ----------------------

---

बही नं0:1 लें0सं0: 3554 (भाग–2) क्रम संख्या :51/ 68

(भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

(अधिनियम 16,1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थी का नाम शांता चौहान

निष्पादक का नाम शांता चौहान

लेख का प्रकार Lease